



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27122021-232128
CG-DL-E-27122021-232128

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4993]
No. 4993]

नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 24, 2021/पौष 3, 1943
NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 24, 2021/PAUSA 3, 1943

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 दिसम्बर, 2021

का.आ. 5384(अ).— केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे दी गयी अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट NH22 के किमी. 129.05 किमी. से 156.507 किमी तक के भुखण्ड के संबंध में उक्त राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन हेतु उक्त अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी के कृत्यों का पालन करने के लिए इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है।

अनुसूची

हिमाचल प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-NH22 तक की भूमि का अर्जन।

क्रमिक संख्या	सक्षम प्राधिकारी	भूमि का विवरण	राज्य	जिले का नाम	तालुक का नाम	गांव का नाम
1	2	3	4	5	6	7
1	सद्व (C) शिमला	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH22 के कि.मी. 129.05 से 156.507 तक	हिमाचल प्रदेश	शिमला	शिमला (रूरल)	1 याण (134)

[फा. सं. 1108/2/2012/LA/PIU-SML]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th December, 2021

S.O. 5384(E).— In exercise of powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highways Act, 1956(48 of 1956), the Central Government hereby authorizes the officers mentioned in column (2) of the Schedule annexed here to as the competent authorities to perform the functions of such authorities under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in respect of the stretch of land from Km. 129.05 to Km. 156.507 of the NH22 for building (widening / four-laning, etc.), maintenance, management and operation in the State of HIMACHAL PRADESH.

SCHEDULE

Land acquisition on National Highway No. NH22 in the State of HIMACHAL PRADESH.

Sl. No.	CALA	Stretch	State	District	Taluk/Mandal	Name of the Village
1	2	3	4	5	6	7
1	SDM (C) Shimla (Rural)	129.05KM To 156.507KM	HIMACHAL PRADESH	SHIMLA	Shimla (Rural)	1 Yaan (134)

[F. No. 1108/2/2012/LA/PIU-SML]

RAJESH GUPTA, Director